

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 19/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्वीकृत नाला निर्माण की योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र का वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

पटना शहर में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ- 3 में अंकित राज्यादेश/पत्रांक द्वारा स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी।

उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 6 में अंकित देनदारी की राशि कुल ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०-43 दिनांक-19/3/18 के आलोक में नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	राज्यादेश /दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)	(राशि लाख में) वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of RCC box drain from Manhole Near Mandir to open drain at Saidpur.	पत्रांक- 2960, दिनांक- 27.04.2017	97.83900	0.00000	97.83900	48.91950
2	Construction of RCC box drain from Manhole Near Mandir to open drain at Saidpur Via Premchandra Rangshala, Hindi Akadmi & NCC Campus in Phase-II.		98.08400	0.00000	98.08400	49.04200
3	वार्ड नं०-01 में अल्पना सिनेमा (अशोक राज पथ) से तरुमित्र आश्रम तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	राज्यादेश सं०- 192, दिनांक- 26.12.2016	138.13700	69.06850	69.06850	69.06850

4	वार्ड नं०- 01 में ए०के० मार्बल के सामने से आशियाना मेन नाला तक आशियाना दीघा रोड में आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	आवंटनादेश सं०- 193, दिनांक- 26.12.2016	203.01000	101.50500	101.50500	101.50500
5	वार्ड नं०- 01 में तरुमित्र आश्रम से ए०के० मार्बल के सामने तक आशियाना दीघा रोड में आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।		203.01000	101.50500	101.50500	101.50500
कुल योग			740.08000	272.07850	370.04000	370.04000

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०)

मात्र।

2. क्रमांक- 1 एवं 2 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद तथा क्रमांक- 3, 4 एवं 5 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना- 2 द्वारा किया जा रहा है।

3. आवंटित कुल ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा निकासी के उपरांत क्रमांक- 1 एवं 2 पर अंकित योजनाओं के लिए राशि का हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को तथा क्रमांक- 3, 4 एवं 5 पर अंकित योजनाओं के लिए राशि का हस्तांतरण जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना को कर दिया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संघारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. आवंटित राशि ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी

स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2014 144 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 19/3/18  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना- 2/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष् कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

19.3.18

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 19/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्वीकृत नाला निर्माण की योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र का वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पटना शहर में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ- 3 में अंकित राज्यादेश/पत्रांक द्वारा स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप राशि आवंटित की गई।

उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 6 में अंकित देनदारी की राशि कुल ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	राज्यादेश /दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of RCC box drain from Manhole Near Mandir to open drain at Saidpur.	पत्रांक- 2960, दिनांक- 27.04.2017	97.83900	0.00000	97.83900	48.91950
2	Construction of RCC box drain from Manhole Near Mandir to open drain at Saidpur Via Premchandra Rangshala, Hindi Akadmi & NCC Campus in Phase-II.		98.08400	0.00000	98.08400	49.04200
3	वार्ड नं०-01 में अल्पना सिनेमा (अशोक राज पथ) से तरुमित्र आश्रम तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	राज्यादेश सं०- 192, दिनांक- 26.12.2016	138.13700	69.06850	69.06850	69.06850

04

4	वार्ड नं०- 01 में ए०के० मार्बल के सामने से आशियाना मेन नाला तक आशियाना दीघा रोड में आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	आवंटनादेश सं०- 193, दिनांक- 26.12.2016	203.01000	101.50500	101.50500	101.50500
5	वार्ड नं०- 01 में तरुमित्र आश्रम से ए०के० मार्बल के सामने तक आशियाना दीघा रोड में आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।		203.01000	101.50500	101.50500	101.50500
कुल योग			740.08000	272.07850	370.04000	370.04000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र।

**इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।**

2. क्रमांक- 1 एवं 2 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद तथा क्रमांक- 3, 4 एवं 5 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना- 2 द्वारा किया जा रहा है।

3. स्वीकृत कुल ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा निकासी के उपरांत क्रमांक- 1 एवं 2 पर अंकित योजनाओं के लिए राशि का हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को तथा क्रमांक- 3, 4 एवं 5 पर अंकित योजनाओं के लिए राशि का हस्तांतरण जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना को कर दिया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संघारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. स्वीकृत राशि ₹370.04 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख चार हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु

शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।


8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-01/2014 के पृष्ठ सं०- .....104...../टि० पर दिनांक- 19-08-18..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- .....105...../टि० पर दिनांक- 19-08-18..... को प्राप्त है।


11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2014 143 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव।